

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या 2930-औस०/2008-11(4)एम/86(Vol-I) दिनांक: 4 अगस्त, 2008

कार्यालय - ज्ञाप

कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों (व उनके आश्रितों) द्वारा स्वेच्छा से राज्य के बाहर चिकित्सा कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-1241-औस-17/पाकालि/2001-11(4)एफ/96 (टी०सी०), दिनांक 20.4.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवम् उनके आश्रित परिजनों के कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा कराने पर सकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का 75% एवम् गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा कराने पर प्रश्नगत चिकित्सा पर वास्तविक चैकित्सिक व्यय का 70% धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है। ऐसे प्रकरणों में कोई यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

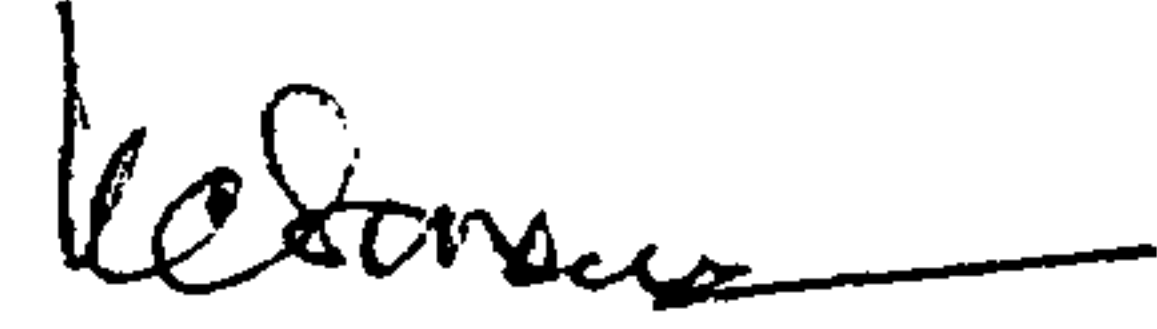
2. उपरोक्त आदेश दिनांक 04.7.2008 से प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष

संख्या: 2930 (1) औस/2008-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक -मध्यांचल, लखनऊ/ पूर्वान्वल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा/ केस्को, कानपुर।
- 2- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 3- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 4- समस्त उप महाप्रबन्धक /अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 5- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी (उत्पादन), शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- सचिव, विद्युत कर्मचारी पेंशनर्स परिषद, 103, कीर्ति अपार्टमेंट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 8- कट फाइल।


(वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

G LTER